

संग्रहीत दिनांक—४/ घोषणा—२८/३/२०१५ / वित्तीय वर्ष—२०१५-१६, भारत सरकार

प्रेषक,

ए०के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
झारखण्ड, राँची।

द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय— वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास (केन्द्रांश ५० प्रतिशत : राज्यांश ५० प्रतिशत) योजना के अंतर्गत विभिन्न आश्रयणियों के विकास एवं रख-रखाव हेतु कुल १००.०० लाख (एक करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-३०० दिनांक—३०.०३.२०१५

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास (केन्द्रांश ५० प्रतिशत : राज्यांश ५० प्रतिशत) योजना के अंतर्गत कुल १००.०० लाख (एक करोड़) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

२. वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास (केन्द्रांश ५० प्रतिशत : राज्यांश ५० प्रतिशत) योजना के अंतर्गत कुल १००.००० लाख (एक करोड़) रुपये की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना एवं अधिरोपित सभी शर्तों के अनुरूप ही किया जायेगा।

३. कार्य योजना पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षारत है।

M. S. D.

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार/ इकाईवार राशि की विवरणी निम्न प्रकार हैः—

(क) केन्द्रांश :-

(राशि लाख में)

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपर्युक्त	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप—मुख्य शीर्ष 02—पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110—वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष 22—वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना	मजदूरी	19C240602110220103	30.000	30.000
	आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110220323	20.000	20.000
कुल राशि—(एक करोड रुपये)			50.000	50.000

(क) राज्यांश :-

(राशि लाख में)

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपर्युक्त	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप—मुख्य शीर्ष 02—पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110—वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष 22—वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना	मजदूरी	19P240602110220103	30.000	30.000
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240602110220323	20.000	20.000
कुल राशि—(एक करोड रुपये)			50.000	50.000

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिषिष्ट-1 में अंकित पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी/ मुख्य वन संरक्षक / वन्यप्राणी/ मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, डालटेनगंज द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का आवंटन स्वीकृत राशि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि तक ही सीमित रखा जायेगा। साथ ही उपबंधित राशि के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त केन्द्रांश की राशि के समानुपातिक रूप से ही राज्यांश की राशि आवंटित की जायेगी।

1/11
1/2
1/6/6

18/वैदेश
1/1/2015

9. स्वीकृत राशि की निकासी दिनांक 25.01.1998 दरमांक 2501 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय उक्त योजना बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस हेतु निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वास्तवित रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्य क्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16/6

16/6

18/टी०

16.6.2015

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. इस योजना के अंतर्गत वन्य प्राणी प्रबंधन एवं संवर्द्धन के कार्यों का संपादन इको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी भद्र में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली साशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या—301, दिनांक—11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव महोदय को अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ए०के० रस्ताणी)
सरकार के विशेष सचिव।

झापांक—7/यो० बजट—60/2015 18/स्वी० व०प०/रांची, दिनांक—16.6.2015

प्रतिलिपि : सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, रांची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पांच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्ताणी)
सरकार के विशेष सचिव।

झापांक—4/यो० बजट—60/2015 18/स्वी० व०प०/रांची, दिनांक—16.6.2015

प्रतिलिपि :— सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्ताणी)
सरकार के विशेष सचिव।

दितीय दर्ज 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास (50:50)” योजना के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची
3	उप वन सरकार, गज परियोजना, जमशेदपुर
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर ऐरिया, व्याप्र परियोजना, मेदिनीनगर

~~(ए०क० रस्तोणी)~~
सरकार के विशेष सचिव।

18/ल्पी०
(6.6.2015)